रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2015/श्रावण 28, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88
No. 110] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2015/SRAVANA 28, 1937 [N.C.T.D. No. 88

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2015

फा. सं. 10/12/जीए/स्था./डीसी/मुख्या./2013/1375.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3.7.2012 की अधिसूचना सं. फा.सं.16(105)/2005/जीए/पदोन्नति/डीसी/1171 के अनुसार प्रकाशित चालकों के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चालक के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार चालकों की भर्ती नियमावली, 2015 कहा जायेगा।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड/ वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

   वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक, साधारण ग्रेड
2.	पदों की संख्या	:	45
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	5200–20200 पीबी–1 जमा ग्रेड पे 1900/–रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा	:	18–27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय) **टीपः** आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष 2. इस क्षेत्र में दो वर्ष के निष्कलंक अनुभव सहित हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस 3. मोटर मशीन यंत्र का ज्ञान (अभ्यार्थी में वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए)
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयुः नहीं शैक्षिक योग्यताः नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः—** राजस्व विभाग के पीबी–1, 5200–20200/–रुपये + जीपी 1800/–रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले समूह –ग

			कर्मचारियों के बीच में से तथा परिवहन विभाग, (मोटर वाहन संस्थान) दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाली कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त सहित हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस रखने वाले ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देवेश सिंह, उपायुक्त (मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 19th August, 2015

No. F. 10/12/GA/Estt/DC/HQ/2013/1375.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Revenue, GNCT of Delhi, Recruitment Rules relating to the post of Drivers published vide Notification No. F16(105)/2005/GA/Promotion/DC/1171 dated 03/7/12, The Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Drivers in Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Revenue Department, Government of National Capital Territory of Delhi Drivers Recruitment Rules. 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. **Number of post, its classification and pay band and grade/ scale of pay**- The number of said post , its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.
2. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
1. **Disqualifications: No person.-**
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for the appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable so such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
2. **Power to Relax.**-Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
3. **Savings.**– Nothing in these rules shall affect reservations , relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issues by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether selection post or non selection
1	2	3	4	5
Staff Car Driver Ordinary Grade	45	Group "C" Non Gazetted Non-Ministerial	Rs.5200- 20,200. PB-1 Plus Grade Pay Rs.1900	Non Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7
Between 18-27 years. (Relaxation as per orders/ instructions issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadeep.	1. Matriculation or its equivalent from a recognized Board/ University. 2. Driving License of Light Motor Vehicle with two years of unblemished experience in the line. 3. Knowledge of Motor Mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles)

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by variopus methods..	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.
8	9	10	11
Age : No Educational Qualification :No	02 (Two) Years	By promotion failing which By direct recruitment	**Promotion** From among Group-C employees with 03 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5200-20200 in Pay Band-I with Grade Pay of Rs. 1800 having driving licence of Light Motor Vehicle in the office the vacancy arises subject to passing a skill test to be

			conducted by Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

If a deparmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' DPC	Not applicable.

By Order and in the name of Lt. Governor,

National Capital Territory of Delhi,

DEVESH SINGH, Dy. Commissioner HQ

3559 DG/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.